तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्र.सं. 59 / 2023 जीसीएमएस : 2023 / 98 रामकृष्ण आदि बनाम राजीव कुमार आदि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट	नम्बर व तारीख अहकाम जो जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये
10.02.2025	बार संघ द्वारा कार्य स्थगित रखा गया है। पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीगण के द्वारा घोषणात्मक एवं वाद पत्र के साथ हस्तगत स्थगन प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, और वाद के अन्तिम निस्तारण तक विवादित भूमि के मौका व रिकार्ड की यथास्थिति के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया गया है। अप्रार्थी सं. 1 – 2 तथा अप्रार्थी सं. 3 के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की मदों को स्वीकार करते हुए प्रार्थी के कब्जा को भी स्वीकार किया है। अप्रार्थी सं. 4 द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया है। चूंकि वाद पत्र विभाजन के अनुतोष पर आधारित है तथा वाद के विचारण के दौरान यदि विवादित भूमि का अन्यत्र अन्तरण हो जाता है तो विवाद बढेगा तथा प्रकरण के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब होगा जिससे उभयपक्ष को अपूर्णीय क्षति होगी। प्रार्थीगण विवादित भूमि के सहखातेदार है जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध है। अप्रार्थीगण के द्वारा विवादित भूमि पर प्रार्थीगण के कब्जा को स्वीकार किया है ऐसे में सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। ऐसी स्थिति में न्यायालय की राय में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण में पारित अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 14.06.2023 को मूल वाद के निर्णय तक कन्फर्म किया जाता है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैंसले में शुमार होकर मूल वाद के संलग्न रहे। **निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।** शकुन्तला R.A.S. उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.04.07 09:30:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner